कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक प–45 / पीएण्डएम– ।। / परिपत्र / 09 / डी–614 दिनांक 12.02.2009

परिपत्र संख्या–10 / 08–09

पूर्व में इस कार्यालय द्वारा समय समय पर जारी किये गये पत्र / परिपत्र दिनांक 20.5.03, 29.4.2005, 17.9.2007 के द्वारा दिये गये निर्देशों की निरन्तरता में पुनः निर्देशित किया जाता है कि राज्य में बढती हुई सडक दुर्धटनाओं की रोकथाम के लिए निम्न निर्देशों की पालना पूर्ण रूप से किया जाना सुनिश्चित करें।

1. सावधानी एवं सतर्कता हेतु सडकों पर बोर्ड लगाना जैसे गति सीमा, खतरनाक मोड इत्यादि।
2. पहाडी व धाट क्षैत्र में सडकों पर रिफलेक्टर बोर्ड लगाना।
3. राष्ट्रीय उच्च मार्ग व राजमार्ग पर मिलने वाली अन्दर की सडकों पर गति अवरोधक / रम्बल स्ट्रीप लगाना व सभी नये तथा पुराने गति अवरोधकों पर पेंट करना व चेतावनी बोर्ड लगाना।
4. सडकों के खतरनाक मोड की ज्यामिती को सुधार करना।
5. पैदल सडक पार करने वालों की सुविधा हेतु उपयुक्त स्थान पर जेबरा क्रासिंग लगाना।
6. सडक मोडों के किनारों पर पेन्ट से लाइने लगाना व चेतावनी बोर्ड लगाना।
7. सडक के मोड़ को पूर्णतः साफ व झाडियों इत्यादि से मुक्त कराना।

कृपया उक्त निर्देशों की पालना कर इस कार्यालय को अवगत करावें।

मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव 12/2/09
सा.नि.वि, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपिः– निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा.नि.वि., राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सा.नि.वि., राज. जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सा.नि.वि., सम्भाग...................... समस्त।
4. अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि.वि., वृत............................समस्त।
5. अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. खण्ड......................... समस्त।

मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव 12/2/09
सा.नि.वि, राजस्थान, जयपुर